



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062021-227311
CG-DL-E-01062021-227311

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1957]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 1, 2021/ज्येष्ठ 11, 1943

No. 1957]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 1, 2021/JYAISTHA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

का.आ. 2110(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट (रामपुर का पश्चिमी किनारा - रुद्रपुर खंड उत्तर प्रदेश राज्य में रामपुर शहर को दरकिनार करते हुए NH-24 को NH-87 तक) किमी. 0.000 किमी. से 16.900 किमी. तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (रामपुर का पश्चिमी किनारा - रुद्रपुर खंड उत्तर प्रदेश राज्य में रामपुर शहर को दरकिनार करते हुए NH-24 को NH-87 तक) किमी 0.000 किमी से 16.900 किमी तक तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम				
1	2	3	4	5	6	7				
1	अपर जिलाधिकारी (वि० एवं रा०)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या No Yet to be Assigned के कि.मी. 5.8 से 16.9 तक	उत्तर प्रदेश	रामपुर	रामपुर (सदर)	<table><tr><td>1</td><td>पसियापुरा शुमाली</td></tr><tr><td>2</td><td>ठोठर</td></tr></table>	1	पसियापुरा शुमाली	2	ठोठर
1	पसियापुरा शुमाली									
2	ठोठर									
2	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, मुरादाबाद	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या No Yet to be Assigned के कि.मी. 0 से 5.2 तक	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	मुरादाबाद	<table><tr><td>1</td><td>सिहरिया</td></tr></table>	1	सिहरिया		
1	सिहरिया									

[फा. सं. 11020/1/2021/PIU-MBD]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2021

S.O. 2110(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land for (Western side spur of Rampur - Rudrapur section) connecting NH-24 to NH-87 bypassing Rampur town from

Km. 0 to Km. 16.9 for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway (Western side spur of Rampur - Rudrapur section) connecting NH-24 to NH-87 bypassing Rampur town in the state of Uttar Pradesh.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village				
1	2	3	4	5	6	7				
1	ADM (F/R)	5.8KM To 16.9KM	UTTAR PRADESH	RAMPUR	Rampur (Sadar)	<table><tr><td>1</td><td>Pasiyapur Shumali</td></tr><tr><td>2</td><td>Thotar</td></tr></table>	1	Pasiyapur Shumali	2	Thotar
1	Pasiyapur Shumali									
2	Thotar									
2	Special Land Acquisition Officer, Moradabad	0KM To 5.2KM	UTTAR PRADESH	MORADABAD	Moradabad	<table><tr><td>1</td><td>Siharia</td></tr></table>	1	Siharia		
1	Siharia									

[F. No. 11020/1/2021/PIU-MBD]

RAJESH GUPTA, Director